भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2559
दिनांक 16 दिसम्बर 2025 / 25 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एसडीआरएफ से ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं के लिए सहायता

2559 श्रीमती रुचि वीराः

श्रीमती संजना जाटवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानदंड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं के लिए सहायता का प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो यह देखते हुए कि स्थानीय निकायों के पास सीमित संसाधन होने के कारण वर्तमान में ऐसे पशुओं की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, सरकार द्वारा मौजूदा एसडीआरएफ मानदंडों में किसी भी पशु के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान शामिल करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): आवारा पशुओं के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) स्कीम के अंतर्ग्रत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हालाँकि, दुधारू पशुओं, भारवाही पशुओं अथवा ढुलाई के लिए प्रयुक्त पशु की हानि के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को निःशुल्क राहत के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) गोशालाओं सहित पशु कल्याण संगठनों को मान्यता देता है, जो पशु आश्रयों का रखरखाव कर रहे है। राज्य सरकारें अपने अधिदेश के अनुसार, आवारा पशुओं को रखने के लिए आश्रय की स्थापना हेतु सहायता प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृहों के अनुदान, विप्ताग्रस्त पशुओं के बचाव और उपचार के लिए एम्बुलेंस सेवाओं की खरीद और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं को राहत प्रदान करने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है।

****